विचार बिन्दु

दानी कभी दुःख नहीं पाता, उसे कभी पाप नहीं घेरता। –ऋग्वेद

ठीक हो सकने वाले बच्चों के कैंसर उपचार में मदद

कैंसर का नाम सुनते ही मन में भय, अनिश्चितता, और संघर्ष की छवि उभरती है। एक ओर जहां आधुनिक चिकित्सा अनुसंधानों ने विभिन्न प्रकार के कैंसर के इलाज से इस दुर्दान्त व्याधि को नियंत्रित कर जीवन प्रत्याशा को बढ़ाना संभव किया है, वहीं दूसरी ओर यह इलाज इतना महंगा होता है कि गरीब और आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग उसे वहन ही नहीं कर सकते। खासकर निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए, इस बीमारी का इलाज एक भारी आर्थिक बोझ बन कर उन्हें तोड़ देता है। इसीलिए कहा जाता है कि कैंसर का रोग मरीज को तो तबाह करता ही है, उसके परिवार को भी आर्थिक दृष्टि से तबाह कर देता है। कैंसर की बीमारी के अनेक रूप हैं। वह क्यों होता है इस पर भी चिकित्सा जगत के अनुसंधानकर्ता किसी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। वे इतना जरूर साफ तौर पर जानते हैं कि मानव शरीर में कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाओं का बनना और नष्ट होना एक सामान्य, नियमित तथा संतुलित अनिवार्य प्रक्रिया है। मगर जब यह प्रक्रिया बिगड़ जाती है तब कोशिकाओं का सामान्य विभाजन होकर नई कोशिकाओं का बनना अनियंत्रित हो जाता है और नई कोशिकाओं के बनने का विस्फोट हो जाता है। यह शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। जब कोशिकाओं का विस्फोट होता है तब वह अतिरिक्त कोशिकाएं पीड़ादायक गांठ का रूप धरण कर लेती है। इसी को कैंसर की गांठ कहते हैं।

वैज्ञानिक अनुसंधानों ने ऐसा होने के अनेक कारक खोजे हैं जिनमें धूम्रपान, तंबाकू तथा शराब का सेवन प्रमुख रूप से शामिल हैं। हालांकि कैंसर के इलाज में चिकित्सा विज्ञान ने बहुत प्रगति की है किन्तु अब भी यह व्याधि असाध्य रोग के रूप में ही बनी हुई है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों में होने वाले कैंसर का एक आशावादी पक्ष यह है कि उनमें होने वाले विभिन्न प्रकार के रक्त कैंसर में अधिकतर कैंसर पूरी तरह ठीक होने योग्य होते हैं। ठीक हुआ हर बच्चा सिर्फ़ एक बचा हुआ जीवन नहीं होता हैवह एक पुनर्स्थापित भविष्य भी होता है। गरीबी या आर्थिक तंगी के कारण किसी बच्चे को इलाज योग्य कैंसर से मरने देना कोई भी अच्छा समाज स्वीकार नहीं कर सकता है। ऐसा न हो इसका मानवीय और सामाजिक दायित्व बनता है जिसे जयपुर में भगवान महावीर कैंसर अस्पताल निभा रहा है। वहां जीवनदान निधि परियोजना चलती है जिसका उद्देश्य कैंसर से जूझ रहे बच्चों के गरीब परिवारों को, जो अपने सीमित आर्थिक स्थिति के कारण इस बीमारी के महंगे इलाज की चुनौती का सामना कर पाने में असमर्थ हैं, का मुफ़्त इलाज करना है।

एक मोटे अनुमान के अनुसार कैन्सर ग्रस्त एक बच्चे के इलाज पर लगभग 5 लाख रुपये का खर्च आता है जो कई परिवारों के लिए असंभव राशि होती है। पैसे की कमी के कारण किसी बच्चे को इलाज से वंचित करना न केवल दुखद है, बल्कि समाज की विफलता भी है। इस निधि की स्थापना इसी स्थिति को बदलने के लिए की गई है। भगवान महावीर कैंसर अस्पताल के ट्रस्टियों की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के साथ 2014 में गरीब परिवारों के 10 बच्चों को सहायता के लिए चुनने के साथ इस परियोजना की शुरुआत हुई। बाद में इसे बढ़ाकर सालाना 20 बच्चों तक कर दिया गया। जीवनदान निधि से बच्चों में होने वाले तीन प्रकार के रक्त कैंसरों का नि:शुल्क उपचार किया जाता है जिनके बारे में माना जाता है कि उचित इलाज से मरीज के कैन्सर मुक्त होने की दर बहुत अधिक है। यह कैंसर हैं:–एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया, और हॉजकिन्स लिंफोमा। कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) साझेदारियां और व्यक्तिगत दानदाता इस परियोजना की रीढ़ बने। इंडसइंड बैंक ने 5 वर्षों में 5.25 करोड़ रुपये की सीएसआर सहायता प्रदान की, और उसके बराबर ही व्यक्तिगत दानदाताओं ने भी आर्थिक योगदान दिया जिससे यह काम चल पा रहा है।

जीवनदान निधि का अब तक का प्रभाव बहुत उत्साहवर्धक है। इस साल जून माह तक 272 बच्चों का इलाज के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार चयन किया गया। इनमें से 168 बच्चे सफलतापूर्वक कैंसर व्याधि से ठीक हो चुके हैं और अब स्वस्थ, सामान्य जीवन जी रहे हैं। अभी आठ बच्चे उपचाराधीन हैं, और उनकी भी प्रगति उत्साहजनक है। इलाज के बाद भी मरीज की नियमित जांच भी इसमें शामिल है क्योंकि कैंसर के फिर उभर जाने का अंदेशा बना रहता है। भगवान महावीर कैंसर अस्पताल की यह पहल एक राह सुझाती है कि यदि सब मिल कर मदद करें तो बहुत कुछ हो सकता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कोई भी ऐसा बच्चा न छूटे जिसका कैंसर ठीक हो सकता हो। किसी भी अस्पताल या संस्था द्वारा मानवीयता और सामाजिक संवेदनशीलता से कैंसर रोगियों के लिये कोई पहल की जाती है तो उसका व्यापक प्रचार होना चाहिए ताकि उनसे प्रेरणा पाकर और संस्थाएं भी ऐसी पहल करने आगे आयें। मगर कृपण मीडिया में ऐसी खबरों के लिए कोई स्थान नहीं होता। इसका नतीजा यह होता है कि समाज में हो रही अच्छी बातों से आमजन अनजान रह जाते हैं। जीवनदान निधि में एक एक बच्चे के इलाज के लिए पांच लाख रुपये का व्यक्तिगत दान देने वाले दाता तैयार किये जाते हैं। ऐसी पहलें और भी हों उसके लिए ऐसी योजनाओं के सफलतापूर्वक संचालन के लिए एक स्थिर और विश्वसनीय वित्तीय आधार आवश्यक होता है। यह आधार सरकारी सहायता, निजी संस्थाओं तथा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योगदान से संभव है। जीवनदान निधि योजना अब तक अपनी सार्थकता सिद्ध कर चुकी है। इस प्रकार की पहल ने न केवल कैंसर पीड़ित बच्चों के परिवारों पर आर्थिक बोझ को कम किया है, बल्कि उन परिवारों को एक संघर्ष के दौरान आशा देने का भी काम किया है, जो इलाज की लागत के चलते हार मान सकते थे। जीवनदान निधि न केवल चिकित्सा क्षेत्र में एक उदारता है, बल्कि वह हमें यह याद दिलाती है कि समाज की सहभागिता से बहुत कुछ संभव है। इस प्रकार की परोपकारी योजनाएं सन्देश देती हैं कि संवेदनशील संस्थाएं चिकित्सा-उपकार और सामाजिक न्याय को साथ लेकर चल सकती हैं।

यहां मीडिया की भूमिका भी आती है कि वह ऐसे कामों के प्रति पहुंच एवं जागरूकता पैदा करे। केवल चिकित्सा सहायता ही काफी नहीं होगी; रोगी और परिवारों को मानसिक स्वास्थ्य, पुनर्वास, सामाजिक समायोजन आदि सहायता भी चाहिए जिसके लिए शासन और समाज को मिल कर काम करना होगा। अस्पताल के सहयोग से मनोचिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता, पुनर्वास कर्मी, पोषण विशेषज्ञ आदि को भी इस अभियान में शामिल करना होगा।

हालांकि इस परियोजना ने उल्लेखनीय काम किया है, फिर भी यह एक छोटा कदम है, मगर वह एक राह दिखाता है। कैंसर की समस्या बहुत बड़ी है और उसके इलाज की चुनौति उससे भी बड़ी है। ऐसी सफलता को दीर्घकाल तक सुनिश्चित करने के कदम उठाने की समय की मांग है। इसके लिए लिए अनेक चुनौतियों का सामना करना होगा। जैसे फंड की अस्थिरता एवं संसाधन की कमी। सामाजिक कल्याण योजनाएं अक्सर समय-समय पर वित्तीय दबाव का सामना करती हैं। इसलिए ऐसी पहलों में निरंतर दान एवं समर्थन सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। इसके लिए सरकार, निगमों एवं व्यक्तिगत दाताओं के साथ साझेदारी बढ़ाई जासकती है। फंड की पारदर्शिता तथा उसकी नियमित रिपोर्टिंग प्रणाली से ऐसा संभव है जैसा कि भगवान महावीर कैंसर अस्पताल की जीवन दान निधि की व्यवस्था में होता है। यह सुनिश्चित करना भी मुश्किल हो सकता है कि सहायता का दायरा कैसे निर्धारित हो - सभी रोगियों को देने से संसाधन बिखर सकते हैं। लेकिन एक स्पष्ट व न्यायसंगत चयन प्रक्रिया बने जिसमें सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, बीमारी का स्तर, पारिवारिक स्थिति आदि को मापा जाए तो ऐसी अनेक पहलें हो सकती हैं। यहां मीडिया की भूमिका भी आती है कि वह ऐसे कामों के प्रति पहुंच एवं जागरूकता पैदा करे। केवल चिकित्सा सहायता ही काफी नहीं होगी; रोगी और परिवारों को मानसिक स्वास्थ्य, पुनर्वास, सामाजिक समायोजन आदि सहायता भी चाहिए जिसके लिए शासन और समाज को मिल कर काम करना होगा। अस्पताल के सहयोग से मनोचिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता, पुनर्वास कर्मी, पोषण विशेषज्ञ आदि को भी इस अभियान में शामिल करना होगा। कैंसर कभी-कभी लौटकर भी आ सकता है; ऐसे में निशुल्क देखभाल की व्यवस्था बनाए रखनी होगी जैसा जीवनदान निधि से होता है। इसके लिए नियमित फॉलो-अप सिस्टम, दूरस्थ सलाह-सहायता व घर-आधारित संभाल के काम विभिन्न संस्थाएं आपस में बांट सकती हैं। ऐसे मॉडल भी बनाए जा सकते हैं जिनमें छोटे स्तर पर भी व्यक्तिगत योगदान दिया जा सकता है। वह धन, समय, स्वैच्छिक सेवा किसी का भी हो सकता है। लेकिन सबसे बढ़ कर है नीति एवं शासन का सहयोग। स्वास्थ्य एक मौलिक मानव अधिकार है, और भारतीय संविधान नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान करता है। संविधान का अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) को सुप्रीम कोर्ट ने स्वस्थ जीवन जीने के अधिकार के रूप में व्याख्यायित किया है। राज्य नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 47) में राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और पोषण सुधारने का निर्देश दिया गया है। इसलिए राज्य एवं केंद्र सरकार को इस तरह की पहलों को बढ़ावा देना चाहिए। भगवान महावीर कैंसर अस्पताल, जयपुर की जीवनदान परियोजना एक प्रेरणादायी उदाहरण है कि किस तरह सामाजिक संवेदनशीलता, दान, और चिकित्सकीय उत्कृष्टता मिलकर जिंदगियां बचा सकती हैं। ऐसे प्रयास न केवल आर्थिक रूप से कमजोर रोगियों को राहत देते हैं, बल्कि समाज को मानवीय भी बनाते हैं। ऐसे प्रयासों को बढ़ाने की दिशा में सोचने की बहुत आवश्यकता है। सरकार, संस्थाओं और नागरिकों को इस मिशन के साथ खड़े होना चाहिए, ताकि एक स्वस्थ समाज की नींव पक्की हो सके और 'जीवनदान' को शब्द से करामात में बदला जा सके। जब हम एक-दूसरे का हाथ थामते हैं, तब ही जीवनदान जैसा आदर्श सफल हो सकता है।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

"गिव अप अभियान" : जरूरतमंदों तक पहुंचा लाभ, अपात्रों पर सख्ती

राजस्थान में अब तक 39 लाख से अधिक अपात्र व्यक्तियों ने स्वेच्छा से योजना छोड़ी

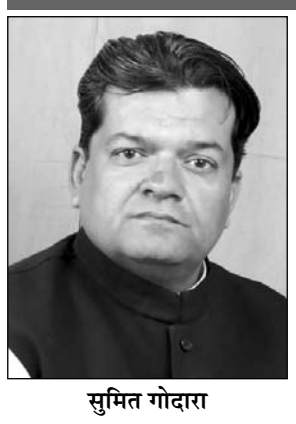

सुमित गोदारा

सामाजिक न्याय की दिशा की दृष्टि से राजस्थान सरकार का "गिव अप अभियान" अत्यंत महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शुरू इस पहल का उद्देश्य असल हकदारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ दिलाना और अपात्रों को सूची से हटाना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की मूल भावना भी यही है कि गरीब का निवाला केवल उसी तक पहुँचे, जिसके पास जीवन-यापन के लिए पर्याप्त साधन नहीं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान में अब तक 39 लाख से अधिक अपात्र व्यक्तियों ने स्वेच्छा से योजना छोड़ी है। साथ ही ई-केवाईसी न कराने वाले 27 लाख से अधिक व्यक्तियों के नाम स्वत: हट गये। इस पहल से गरीबों के लिए जगह बनी और आज तक 66 लाख से अधिक नए पात्र किंतु वंचित व्यक्ति खाद्य सुरक्षा से जुड़ चुके हैं। यह उपलब्धि दर्शाती है कि राज्य सरकार का फोकस सही दिशा में है।

राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सूची से जुड़ते ही पात्र परिवारों को केवल सस्ती दर पर अनाज ही न मिले, बल्कि अन्य योजनाओं का लाभ भी स्वत: मिल सके। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत 450 रुपए में 12 गैस सिलेंडर, आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत 10 लाख का कवच और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत नि:शुल्क चिकित्सा जैसी सुविधाएं गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठा रही है।

"गिव अप अभियान" की सबसे बड़ी उपलब्धि नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। अब पात्र परिवार ई-मित्र केंद्र या सीधे ... पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। शहरी और ठामीण स्तर पर जांच दल गठित हैं और जिला कलेक्टरों को भी नाम जोड़ने का अधिकार दिया गया है। पहली बार प्रक्रिया इतनी आसान हुई है कि कोई भी पात्र परिवार अब वंचित नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि गरीब का हक अपात्र के पास नहीं जाना चाहिए। इसी के तहत अब अपात्रों पर सख्त कार्रवाई होगी। स्वेच्छा से गिव अप नहीं करने वाले अपात्रों की सूची सार्वजनिक कर उन्हें नोटिस दिये जायेगें तथा वसूली भी की जायेगी। सरकार ने अपात्रता की स्पष्ट परिभाषा भी तय की है। सरकारी सेवा में कार्यरत सदस्य वाले, आयकरदाता, और चारपहिया वाहन रखने वाले परिवार खाद्य सुरक्षा के दायरे से बाहर रहेंगे। अभियान की सफलता के लिए विभागीय निगरानी भी कड़ी की गई है। संबंधित अधिकारियों को फील्ड में साप्ताहिक और पाक्षिक प्रवास सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सोशल मीडिया और स्थानीय भाषाओं में व्यापक प्रचार-प्रसार कर जनता को जागरूक किया जा रहा है।

"गिव अप अभियान" केवल प्रशासनिक कार्यवाही नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का प्रतीक बन गया है। सक्षम लोगों का त्याग और जरूरतमंदों की खुशी ही इस पहल की असली ताकत है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह निर्देश कि जरूरतमंदों को योजना से जोड़ो और अपात्रों को हटाओ अब जमीन पर हकीकत बन रहा है। यह अभियान न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल है। इस मॉडल से यह स्पष्ट संदेश जाता है कि अगर प्रशासन और समाज मिलकर काम करें, तो कोई भी गरीब अपने हक से वंचित नहीं रह सकता।

सुमित गोदारा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, राजस्थान सरकार

सहज, सरल और सुलभ न्याय पर खरे उतरते तीन नए कानून

नरेन्द्र कटारा

गुलामी की जंजीर तोड़ते तीन नए आपराधिक कानून इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि मोदी सरकार का यह ईज ऑफ जस्टिस की दिशा में अग्रगामी कदम है। तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लिया हैं। गुलामी की आपराधिक कानूनों में बदलाव की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी और खासबात यह कि उस संहिता की खामियों से वाकिफ होने के बावजूद उसमें बदलाव के लिए पूर्व सरकारें हिम्मत नहीं दिखा पा रही थी। जुलाई 24 में तीन काननू लागू करके प्रधानमंत्री नरेनद्र मोदी और गृह मत्री अमित शाह ने सरकार की इच्छा शक्ति दिखा दी वहीं देश में त्वरित न्याय की दिशा में लोगों के विश्वास को जीतने का प्रयास किया है। पुरानी व्यवस्था में समय पर बल्कि यह कहें कि न्याय पाना मुश्किल भरा काम था। न्याय के दर तक पहुंचना ही आम आदमी के लिए मुश्किल था। कभी कार्य क्षेत्र के चक्कर में पुलिस थानों में दर दर भटकना पड़ता तो एफआईआर लिखवाने तक मुश्किल भरा काम होने से आमजन में विश्वास के स्थान पर भय के हालात ही देखने को मिल रहे थे। ऐसे में नये काननू आपराधिक न्यायप्रणाली में बदलाव की दिशा में बढ़ता कदम होने के साथ ही प्रगतिशील कदम माना जा रहा है।

गृहमंत्री अमित शाह ने 13 अक्टूबर को जयपुर के जेईसीसी में आयोजित कार्यक्रम में स्पष्ट संदेश दिया कि नई कानून व्यवस्था से आपराधिक न्याय प्रणाली न्याय से प्रेरित होने के साथ ही शीघ्र और समय पर न्याय मिलने के दिशा में बढ़ता कदम बन गया है। तीन साल में न्याय की व्यवस्था के साथ ही लोगों में विश्वास जगाने का यह सफल प्रयास है। अभी साल भर पहले ही पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज कराने में ही एड़ी चोटी का जोर और सिफारिशें लगाने की आवश्यकता होती थी तो नए कानून में व्यवस्था को सरल, सहज और तार्किक स्टेज तक बनाने वाली बनाया गया है। नए कानून में जीरो एफआईआर की व्यवस्था है यानी कि आप किसी भी थाने में कहीं पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कोई भी थानाधिकारी आपके रिपोर्ट लिखने से मना नहीं कर सकता। कार्यक्षेत्र का बहाना नहीं चल सकता। जीरो एफआईआर का मतलब यह है कि एफआईआर दर्ज हो जाएगी और फिर संबंधित थानें में उसे कार्रवाई के लिए भेज दिया जाएगा। इसी तरह से थानों के चक्कर लगाने से मुक्ति का प्रावधान भी नए कानून में होने से ऑनलाईन शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था है।

यदि किसी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार व्यक्ति को अपने किसी एक परिचित को इसकी सूचना देने का अवसर दिए जाने की व्यवस्था की गई है। एफआईआर की प्रति प्राप्त करना तो आसान कर ही दिया गया है। फारेसिंक साक्ष्य जुटाने के प्रावधान है तो अपराध पर अंकुश के लिए एआई के उपयोग की व्यवस्था भी है। त्वरित न्याय के लिए 3 साल की समय सीमा तय की गई है। नए कानूनों से महिलाओं और बच्चों में न्याय की नई आश जगी है। कानून में महिलाओं और बच्चों को लेकर अपराध पर गंभीरता दिखाई गई है।

दरअसल 13 अक्टबू र को जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह ने साफ कर दिया है कि यह भारतीय जनता पार्टी का आपराधिक न्यायिक प्रणाली की दिशा में बड़ा कदम है। अब तक औद्योगिक विकास क लिए ईज ऑफ डूइंग की बात की जाती रही है। दुनिया के देशों का यही ट्रेंड रहा है पर भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने इस दिशा में बडी पहल करते हुए ईज ऑफ जस्टिस की ना केवल बात की है बल्कि उसे धरातल पर उतारा है। कानूनों में बदलाव कोई एक दिन या एक आदमी के दिमाग की उपज ना होकर भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने देश के इस क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों, गृह विभागों के नए पुराने अधिकारियों व विशेषज्ञों और कानूनी विशेषज्ञों के साथ ही जानकारों के साथ गहन मंथन किया है। देश-दुनिया के देशों के कानूनों का भी अध्ययन और मंथन किया गया। साफ होना चाहिए कि बदलते समय के साथ अपराध और अपराध की प्रकृति में भी बदलाव आता है। ऐसे में गुलामी के कानूनों को बदलने की रिस्क भारतीय जनता पार्टी और गहमंत्री अमित शाह ने लेकर देश में न्यायिक व्यवस्था को सरल, सहज और सुलभ बनाने की दिशा में पहल की है।

जयपुर में आयोजित कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस कार्यक्रम में पुलिस-प्रशासन से जुड़े लोगों के साथ ही कानूनविदों, युवाओं और कानून का अध्ययन कर रहे छात्रों को भी जोड़ने के साथ ही सहज और आसानी से समझ में आने वाली प्रदर्शनी के माध्यम से व्यावहारिक जानकारी देने का भी सफल और सार्थक प्रयास किया गया है। साफ है कि नए कानून तैयार करना और इन्हें लागू करना देश के कानून इतिहास में बड़ा परिवर्तनकारी प्रयास रहा है। अब पुलिस प्रशासन और कानूनविदों का दायित्व हो जाता है कि नए कानूनों की भावना के अनुसार आमआदमी को राहत प्रदान कराएं और पुलिस थाने वास्तव में लोगों के भरोसे का केन्द्र बने और न्याय के मंदिर अपराधियों को सजा और निर्दोशों को राहत के साथ ही आमनागरिकों को पुलिस और न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास जगा सके। अभी नए कानूनों को लागू हुए एक साल से कुछ अधिक ही समय हुआ है और देशभर में ओरिएंटेशन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। इससे आमलोग थानों में जाने से डरेंगे नहीं और सरकार के इकबाल पर भरोसा कायम होगा।

–नरेन्द्र कटारा,
भाजपा प्रवक्ता,
एडवोकेट राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर

मानपुरा मार्ग से दौलपुरा तक एक करोड़ की लागत से बनी सड़क एक साल में जर्जर

माण्डलगढ़, (निसं)। माण्डलगढ़ उपखण्ड में मानपुरा मार्ग से दौलपुरा तक एक करोड़ रुपये की लागत से बनी डेढ़ किलोमीटर लंबी सड़क घटिया निर्माण के चलते कुछ ही महीनों में जर्जर हो गई हैं। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे बन गए हैं, डामर उखड़ चुका है और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इस जर्जर सड़क पर गत दिनों उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, माण्डलगढ़ विधायक गोपाल खण्डेलवाल के साथ प्रशासन के कई अफसरों ने सफर किया था, लेकिन सड़क के हालात बदतर होते जा रहे हैं।

मानपुरा और दौलपुरा के ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2024 में डीएमएफटी फंड से एक करोड़ से अधिक राशि की लागत से डेढ़ किलोमीटर मार्ग पर डामर और सीसी से सड़क को बनाया गया था। निर्माण के दौरान किसी भी विभागीय इंजीनियर ने पर्याप्त निरीक्षण तक नहीं किया और विभाग के ठेकेदार ने स्थानीय एक व्यक्ति से घटिया सामग्री से सड़क निर्माण कराया। ग्रामीणों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिम्मेदार अफसरों और ठेकेदार पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं।

माण्डलगढ़ के दौलपुरा मार्ग पर एक करोड़ की लागत से बनी सड़क डामर एक साल में ही उखड़ गई।

- सड़क में घटिया निर्माण पर अफसरों व ठेकेदार पर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए
- सड़क पर जगह-जगह गड्ढे बन गए हैं, डामर उखड़ चुका है, वहीं राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है
- मामले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अफसरों से जानकारी मांगी गई तो पल्ला झाड़ते नजर आए

ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण में निम्न गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया गया। बारिश का मौसम आते ही सड़क की डामर परत उखड़ गई और मिट्टी गिट्टी बाहर आने लगी। लोगों का आरोप है कि विभागीय अफसरों की मिलीभगत से ठेकेदार ने सरकारी राशि का दुरुपयोग किया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस सड़क से गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने की उम्मीद थी, लेकिन निर्माण के कुछ महीनों बाद ही सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई। अब यह सड़क हादसों का कारण बन चुकी है। लोगों ने सरकार और जिला प्रशासन से मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो सके और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके।

मानपुरा और दौलपुरा के ग्रामीणों की मांग है कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता की तकनीकी जांच कराई जाए और ठेकेदार और संबंधित अफसरों पर कार्रवाई हो, सड़क की पुनर्निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से कराई जाए।

इस मामले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अफसरों से जानकारी मांगी गई तो पल्ला झाड़ते नजर आए और एक दूसरे पर जिम्मेदारी तय करते रहे।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 15 अक्टूबर, 2025

कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, नवमी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2082, पुष्य नक्षत्र दिन 12:00 तक, साध्य योग रात्रि 2:57 तक, गर करण दिन 10:34 तक, चन्द्रमा आज कर्क राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-कर्क, मंगल-तुला, बुध-तुला, गुरू-मिथुन, शुक्र-कन्या, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज ज्वालामुखी योग दिन 12:00 से आरम्भ होगा। भद्रा रात्रि 10:35 से आरम्भ होगी।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ अमृत सूर्योदय से 9:21 तक, शुभ 10:47 से 12:13 तक, चर 3:04 से 4:30 तक, लाभ 4:30 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 6:30, सूर्यास्त 5:55

मेष
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

वृष
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी और आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

मिथुन
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धन लाभ हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार और प्रयास हो सकते हैं।

कर्क
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। महत्वपूर्ण आवश्यक कार्य बनने लगेंगे। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कन्या
आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा।

तुला
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

वृश्चिक
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

धनु
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। नवीन कार्यों में परेशानी हो सकती है।

मकर
परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ
विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है। अटके हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।